F.No.3(2)/2025-D(AFTC)
Government of India
Ministry of Defence
Department of Defence

Room No.308-A, B-Wing,
Sena Bhawan, New Delhi-110011
Date: 03.06.2025

Vacancy Circular

Subject:- Selection for the posts of Judicial Members in the Armed Forces Tribunal

1) **Tribunal**: The Armed Forces Tribunal is an Appellate Authority established under the AFT Act 2007 to hear various appeals under the AFT Act.The Armed Forces Tribunal (AFT) was constituted under the Armed Forces Tribunal Act, 2007 for adjudication or trial of disputes and complaints with respect to commission, appointments, enrolments, and conditions of service in respect of defence persons subject to Army Act, 1950; the Navy Act, 1957 and the Air Force Act 1950 and also provides for appeals arising out of orders, findings or sentences of courts-martial held under the said Acts and for matters connected therewith or incidental thereto. The Principal Bench of AFT is situated at New Delhi and Regional Benches are situated at Chandigarh, Lucknow, Jaipur, Kolkata, Guwahati, Mumbai, Kochi, Chennai, Srinagar (presently functioning at Jammu) & Jabalpur. **A Member upon selection, may be posted at any of these places.**

2) **Vacancy:** Applications are being invited for a total of '08' vacancies for the post of Judicial Members at Benches in **Chandigarh (01), Lucknow (01), Kolkata (01), Guwahati (01), Kochi (01), Srinagar (functioning at Jammu) (01), Jabalpur (01) & Chennai (01). However, it is stated that a Member upon selection, may be posted at any of these places by giving their choices in order of priority or any of the AFT Benches irrespective of the preference given at S.No.17 at Annexure-I (Proforma).**

3) **Qualifications:** The qualifications, eligibility, salary and other terms and conditions of the appointment of a candidate will be governed by the provisions of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 and the Tribunal Reforms Act, 2021.

(a) As per sub rule 14 of Rule 3 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules,2021:
A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is:

i) is, or has been, a Judge of a High Court; or
ii) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation, in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court.

(b) As per Section-5 of Tribunal Reforms Act, 2021, the Member of a Tribunal shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.

(c) As per Section-3 (1) of Tribunal Reforms Act, 2021, a person who has not completed the age of fifty years shall not be eligible for appointment as Member.

(d) As per Rules 10 & 11 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules,2021, "The Member shall be paid a salary of rupees two lakh twenty-five thousand per month plus other allowances as admissible."

[**Note:** Candidates may refer the Tribunal Reforms Act, 2021 and Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 for other terms & conditions]

4) **Procedure for selection:** The Search-cum-Selection-Committee constituted for recommending the names for appointment to the said posts shall scrutinize the applications received in response to the circular, against the qualifications and may short-list the number of eligible candidates for personal interaction as it may deem fit. The committee shall make its recommendations based on the overall assessment of eligible candidates including assessment through the personal interaction after taking into account the suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view the requirements of the Tribunal and shall recommend a panel of two names for every post for which selection is being done in accordance with the provisions of the Act.

5) **Selection for re-appointment:** The Member of Armed Forces Tribunal shall be eligible for re-appointment in the same manner as that for original appointment, preferably, along with all the persons short-listed in response to the vacancy circular or otherwise under the Tribunal Reforms Act, 2021. While making its assessment for suitability to a post, the Committee shall give additional weightage to the persons seeking re-appointment for their experience in the Tribunal and while doing so, shall take into account, the performance of the person while working as a Member in the Tribunal.

6) **Application Procedure**: Applications of eligible and willing officers are requested through proper channel (wherever applicable) and are accompanied with -

(i) Bio-data in the proforma at Annexure-I
(ii) Certificate to be furnished by the employer/head of office/ forwarding authority as in Annexure-II (wherever applicable).
(iii) Clear photocopies of up-to-date CR/APAR dossier of the officer containing CR/APARs of at least last five years duly attested by a Group-A officer (wherever applicable).
(iv) Cadre clearance (wherever applicable).
(v) Integrity Certificate/clearance from vigilance and disciplinary angle as in Annexure-III (wherever applicable).
(vi) Statement giving details of major or minor penalties, if any, imposed on the officer during the last ten years (wherever applicable).

Above documents should reach this office latest by **02.09.2025** to the following address:

Under Secretary (AFT Cell),
Room No.308-A, B-Wing, Sena Bhawan,
Ministry of Defence, New Delhi-110011

7) No TA/DA will be admissible to the candidates to be called for interview/interaction. The candidates are required to make own arrangements.

8) Advertisement and prescribed application form can be downloaded from Ministry of Defence and Armed Forces Tribunal's websites viz. "**www.mod.gov.in**" and "**www.aftdelhi.nic.in**".

9. Any applications received after **due date and/or without necessary Annexure(s) and/ or not as per new prescribed Proforma** as mentioned above will not be entertained. This Department will not be responsible for the postal delays/ loss of application, for reasons whatsoever. It is therefore, in the interest of the applicants to ensure that their applications reach well within the closing date and time as stipulated.

10. The last date of receipt of the applications will be the crucial date for ascertaining the eligibility of the applicants.

11. Wide publicity may be given in all organizations and their field formations facilitating early and optimum number of applications.

03/06/25

(Sandhya Sreedhar)
Under Secretary to the Government of India
☎ 23792530

To

- Secretary General, Supreme Court
- Registrar General State High Courts (as per list attached)
- Secretary, M/o Law & Justice
- Secretary, Department of Personnel & Training
- Principal Registrar, AFT(PB)
- Registrar, CAT (Principal Bench)
- Director, IT/MoD (**with a request to upload this circular on MoD's website**)

****

Annexure-I

PROFORMA

Fresh ☐ Reappointment ☐

Space for photograph duly signed by candidate

1. Name :

2. Date of Birth :

3. Category(SC/ST/OBC/UR) :

4. Designation/Profession :

5. Contact Details :

	Residential		Official
	Present	Permanent	
Address:			
Mobile/Phone No.			
Email:			

6. Cadre/Service [Wherever applicable]:
   (i) Date of Joining service:
   (ii) Date of superannuation:
   (iii) Service No.:
   (in case of Defence Personnel/ etc)

7. Educational qualification (in reverse chronological order):

Sl. No.	Name of University/ Equivalent Institution	Degree	Year of passing	Division/ % of marks obtained	Academic Distinction	Subject/ Specialization

8. Work Experience:

8A. For the experience as employee, Employment record in chronological order starting with present Employment, list in reverse:

Sl.No.	Name & address of employer (Govt./PSU/Ministry/ Department/any other	Designation, Pay or Scale of pay (Pay in Pay Matrix)*	Period of Service		Nature of work/ experience
			From	To	

*Also indicate Sl No. In above, which is equivalent to Additional Secretary/District Judge/Additional District Judge / Major General (as applicable under the qualification) or above

8B. For the experience as Professional record in chronological order starting with present Engagement, list in reverse:

Sl. No.	Details of Profession	Period of Service		Nature of work done*
		From	To	

*Such as Administration/ Service matters/ Judicial or Qusai-Judicial/ Criminal/ Civil/ Taxation/ Company Affairs/ Environmental matters/ Finance/ Accountancy/ Economics/ Business/ Commerce/ Management/ Public Affairs or any other as may be applicable. Engagement with Government, if any, may be indicated.

9. Date from which drawing the pay scale in the grade of Additional Secretary/ District Judge/ Additional District Judge/ Major General to the Government of India or any equivalent rank (wherever applicable). :

10. Write up on adjudicating experience of the applicant (200 words) [Wherever applicable] :

11(a) Experience alongwith brief write up in handling: Cases before relevant Courts/ Tribunals [if applicable]

Details of Such cases (Reported Cases/Unreported Cases)

12. Proof of Experience, including Enrolment/ Registration No. As an Advocate/ CA etc. [For candidates other than Govt. or Judicial officers] (wherever applicable) :

13. Annual Income along with copy of latest ITR [For Candidates other than Govt. or Judicial Officers] :

14. Write up on 05 major achievement (200 words each) :

15.Awards/ honours/ Publications, if any :

16. Affiliation with the professional bodies/ Institutions/societies/or any other body including political party. :

17. Additional information, if any, which You would like to mention in support of the application for the post along with preference of place of posting may be indicated :

S.No.	Name of Bench	No. of Vacancies of Judicial Members in AFT	Choice in order of Preference (S.No.1 to 8)
1.	Chandigarh	1	
2.	Lucknow	1	
3.	Kolkata	1	
4.	Guwahati	1	
5.	Kochi	1	
6.	Srinagar (functioning at Jammu)	1	
7.	Jabalpur	1	
8.	Chennai	1	

DECLARATION

1. I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of knowledge and belief and nothing has been concealed/ distorted. If at anytime I found to have concealed/distorted any material information; my appointment shall be liable to summary termination without notice.
2. I shall not withdraw my candidature after the meeting of the Selection Committee.
3. I shall not decline the appointment, if selected for appointment by the ACC.
4. I shall join within 30 days from the date of issue of order of appointment.
5. I am aware that in case I violate any of the conditions mentioned at Sl.No.2 to 4, the Government of India is likely to debar me for a period of three years for consideration for appointment outside the cadre and in any Autonomous Body/ Statutory Body/ Regulatory Body.

Place:

Date:

Signature of the candidate

Annexure-II

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE EMPLOYER/ HEAD OF OFFICE/ FORWARDING AUTHORITY

1. Certified that the particular furnished by Shri/ Smt/ Kum -- ----- are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in Annexure-I.

2. It is also certified that there is no vigilance/disciplinary case either pending or being contemplated against him/her and vigilance clearance issued by CVO in the enclosed Annexure (III).

3. His/her integrity is certified.

4. No major or minor penalty was imposed on Shri/Smt/Kum---during the last10 years period.

5. The up-to-date attested Photostat copies of ACR/APAR of last years (each Photostat copy of ACR/APAR should be attested) in respect to Shri/Smt/Kum---in enclosed herewith.

Seal & Signature of the cadre
controlling Authority

Annexure-III

PARTICULARS OF THE OFFICERS FOR WHOM VIGILANCE CLEARANCE IS BEING SOUGHT

(To be furnished and signed by the CVO or HOD)

1. Name of the Officer (in full) :

2. Fathers name :

3. Date of Birth :

4. Date of Retirement :

5. Date of entry into service
6. Service to which the officer belongs including batch/year/cadre etc., Wherever applicable :

7. Positions held(During ten preceding years):

S.No.	Organisation (name in full)	Designation & Place of Posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Department concerned (in case of officers of PSUsetc.)	From	To

8. Whether the officer has been placed on the agreed list or list of Officer of Doubtful Integrity (if yes, details to be given) :

9. Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 yearsand if so with what result (*) :

10. Whether any punishment was awarded to the officer during the last10 years and if so, the date of imposition and details of penalty(*) :

11. Is any disciplinary/ criminal proceedings or charge sheet pending against the officer as on date (if so, details to be furnished, including reference number, if any of the Commission) :

12. Is any action contemplated against the Officer as on date (if so, details to be furnished (*) :

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Commission in the past, the information may be provided for the period thereafter,

Date:

(NAME AND SIGNATURE)

फा. सं. 3(2)/2025-रक्षा(एएफटीसी)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

कमरा सं. 308-ए, बी-विंग,

सेना भवन, नई दिल्ली - 110011

दिनांक: 03.06.2025

<u>रिक्त पद संबंधी परिपत्र</u>

विषयः सशस्त्र बल अधिकरण में न्यायिक सदस्यों के पद पर चयन संबंधी ।

1) **अधिकरण :** सशस्त्र बल अधिकरण एएफटी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपीलों को सुनने के लिए एएफटी अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण है । सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) का गठन सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम 1957 एवं वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन रक्षा कार्मिकों के संबंध में कमीशन, नियुक्तियों, भर्तियों तथा सेवा की शर्तों के बारे में विवादों और शिकायतों पर निर्णय लेने और उन पर सुनवाई करने के लिए किया गया था और इसमें उक्त अधिनियमों के तहत दिए गए कोर्ट मार्शल के आदेश, परिणामों अथवा सजा से उत्पन्न होने वाली अपीलों के लिए और इससे संबद्ध मामलों या उसके प्रासंगिक मामले के लिए भी प्रावधान है । एएफटी की प्रधानपीठ नई दिल्ली में और क्षेत्रीय पीठ चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, कोच्चि, चेन्नै, श्रीनगर (वर्तमान में जम्मू में कार्यरत है) एवं जबलपुर में स्थित हैं। **चयन होने के पश्चात सदस्य की तैनाती इनमें से किसी भी पीठ में हो सकती है ।**

2) **रिक्तिः** चंडीगढ़ (01), लखनऊ (01), कोलकाता (01), गुवाहाटी (01), कोच्चि (01), श्रीनगर (जम्मू में कार्यरत) (01), जबलपुर (01) एवं चेन्नई (01) की पीठ में न्यायिक सदस्यों के पद हेतु कुल '08' रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं । **तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि चयन होने पर सदस्य को प्राथमिकता के क्रम में उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए अथवा अनुबंध-1 (प्रपत्र) में क्र.सं. 17 में दी गई वरीयता के अनपेक्ष किसी भी एएफटी पीठ में नियुक्त किया जा सकता है।**

3) **योग्यताः** अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, पात्रता, वेतन और अन्य निबंधन व शर्तें, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन विनियमित होंगी।

(क) अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 के उप नियम 14 के अनुसार: कोई भी व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास निम्नलिखित योग्यता न हो:

(i) उच्च न्यायालय में जज के रूप में है अथवा जज रहा है; अथवा

(ii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में सेवा संबंधी मामलों में होने वाले मुकदमे में वास्तविक अनुभव के साथ एडवोकेट के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो।

(ख) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 5 के अनुसार अधिकरण का सदस्य चार वर्ष की अवधि तक अथवा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेगा ।

(ग) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा-3(1) के अनुसार पचास वर्ष की आयु पूरी न होने पर व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा ।

(घ) अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 10 और 11 के अनुसार, " सदस्य को दो लाख पचीस हजार रु. प्रतिमाह का वेतन एवं यथा स्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा।"

[**टिप्पणी:** अभ्यर्थी अन्य निबंधन एवं शर्तों के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम 2021 देख सकते हैं]

4) **चयन की प्रक्रियाः** उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए गठित खोज सह-चयन समिति, अर्हताओं के सापेक्ष परिपत्र के जवाब में प्राप्त आवेदनों की छानबीन करेगी और वैयक्तिक विचार-विमर्श के लिए योग्य उम्मीदवारों को उपयुक्त रूप से चुनेगी। समिति, अधिकरण की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उपयुक्तता, कार्यनिष्पादन के पूर्व रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा अधिनिर्णय अनुभव को ध्यान में रखकर वैयक्तिक विचार-विमर्श के माध्यम से मूल्यांकन सहित पात्र अभ्यर्थियों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिश देगी और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चयन किए जा रहे प्रत्येक पद के लिए दो नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

5) **<u>पुनः नियुक्ति के लिए चयनः</u>** सशस्त्र बल अधिकरण के सदस्य उसी प्रकार से पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जैसे कि अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत रिक्ति परिपत्र अथवा अन्यथा के संबंध में चयनित सभी व्यक्तियों के साथ मुख्य रूप से मूल नियुक्ति हुई थी । एक पद के लिए पात्रता होने का आकलन करते समय समिति उन व्यक्तियों को अधिक वरीयता देगी जिन्होंने अधिकरण में अपने अनुभव के साथ पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि उक्त व्यक्ति का अधिकरण में सदस्य के रूप में कार्यनिष्पादन कैसा रहा है।

6) **आवेदन की प्रक्रियाः** योग्य और इच्छुक अधिकारियों के आवेदन उचित माध्यम (जहां भी लागू हो) द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं और जिसके साथ

(i) अनुबंध-I पर दिए प्रपत्र में जीवन वृत्तांत

(ii) अनुबंध-II में दिए गए अनुसार नियोक्ता/कार्यालयाध्यक्ष/अग्रेषण प्राधिकारी (जहां भी लागू हो) द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

(iii) अधिकारी के अद्यतन सीआर/एपीएआर डोजियर की स्पष्ट प्रतिलिपियां जिनमें किसी समूह 'क' अधिकारी (जहां भी लागू हो) द्वारा विधिवत प्रमाणित कम से कम पिछले पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर शामिल हों

(iv) संवर्ग अनापत्ति (जहां भी लागू हो)

(v) अनुबंध-III में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/सतर्कता एवं अनुशासनिक दृष्टि से सतर्कता निकासी (जहां भी लागू हो)

(vi) विगत दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी या बड़ी शास्तियों, यदि कोई है, का विस्तृत विवरण (जहां भी लागू हो)।

उपर्युक्त दस्तावेज दिनांक **02.09.2025** तक इस कार्यालय को नीचे दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए:

"अवर सचिव (एएफटी प्रकोष्ठ),
कक्ष सं. 308-ए, बी-विंग, सेना भवन,
रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली - 110011"

7) साक्षात्कार/बातचीत के लिए आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

8) विज्ञापन और निर्धारित आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय एवं सशस्त्र बल अधिकरण की वेबसाइट अर्थात "www.mod.gov.in" और "www.aftdelhi.nic.in" से डाउनलोड किया जा सकता है।

9) निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले और/अथवा आवश्यक संग्लनकों से रहित और/अथवा उपर्युक्त यथानिर्धारित नए प्रोफार्मा के अनुसार नहीं होने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यह विभाग आवेदन पत्र का डाक में विलंब /उसके खो जाने जैसे कारणों, जो भी हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवेदकों के हित में है कि उनके आवेदन पत्र अंतिम तारीख और निर्धारित समय के भीतर पहुंच जाए।

10) आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख आवेदकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।

11) सभी संगठनों और उनकी फील्ड फॉर्मेशनों को शीघ्र जानकारी पहुंचाने तथा अधिक से अधिक आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु इसका व्यापक रूप में प्रसारण किया जाए।

03/06/25

(संध्या श्रीधर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23792530

सेवा में,

- महासचिव - उच्चतम न्यायालय
- महापंजीयक राज्य उच्च न्यायालय (संलग्न सूची के अनुसार)
- सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय
- सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
- प्रधान पंजीयक, एएफटी (पीबी)
- पंजीयक, सीएटी (प्रधान पीठ)
- निदेशक, आईटी/एमओडी **(इस प्रपत्र को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित)**

******

अनुबंध -।

प्रोफार्मा

नया [ ] पुनः नियुक्ति [ ]

अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फोटो के लिए स्थान

1. नाम :

2. जन्म की तारीख :

3. श्रेणी (अजा/अजजा/अ.पि.व./अनारक्षित) :

4. पदनाम/व्यवसाय :

5. संपर्क विवरण

	आवासीय		कार्यालयी
	वर्तमान	स्थायी	
पता:			
मोबाइल/फोन नं.			
ई-मेल:			

6. संवर्ग/सेवा [जहां लागू हो]:

(i) सेवारम्भ की तारीख:

(ii) अधिवर्षिता की तारीख:

(iii) सेवा संख्या:

(रक्षा कार्मिक/आदि के मामले में)

7. शैक्षिक योग्यता (प्रतिवर्ती तैथिक क्रम में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्थान का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण वर्ष	डिवीजन/प्राप्त अंकों का %	शैक्षिक विशेष योग्यता	विषय/विशिष्ट योग्यता

8. कार्य अनुभव:

8 क. कर्मचारी के रूप में अनुभव के लिए वर्तमान रोजगार के साथ प्रतिवर्ती तैथिक क्रम में रोजगार रिकार्ड

क्र.सं.	नियोक्ता का नाम और पता (सरकारी/पीएसयू/मंत्रालय/विभाग/अन्य कोई)	पदनाम, वेतन या वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में वेतन)*	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति/अनुभव
			से	तक	

* उक्त के बारे में क्रम संख्या भी दर्शाएं जो अपर सचिव/ जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/मेजर जनरल (योग्यता के अनुसार यथा लागू) अथवा इससे ऊपर के समकक्ष हो ।

8 ख. व्यवसाय रिकार्ड के अनुभव हेतु वर्तमान रोजगार के साथ प्रतिवर्ती तैथिक क्रम

क्र.सं.	व्यवसाय का विवरण	सेवा की अवधि		किए गए कार्य की प्रकृति*
		से	तक	

* जैसे कि प्रशासन/सेवा मामले/न्यायिक-अर्ध न्यायिक/आपराधिक/सिविल/कराधान/कंपनी कार्य/पर्यावरण मामले/वित्त/लेखा/अर्थशास्त्र/कारोबार/वाणिज्य/प्रबंधन/पब्लिक अफेयर्स अथवा कोई अन्य जैसा भी लागू हो। सरकार में नियुक्ति, यदि कोई हो, का उल्लेख कीजिए।

9. अपर सचिव/जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/भारत सरकार में मेजर जनरल अथवा कोई समकक्ष रैंक के ग्रेड में वेतनमान आहरित करने की तारीख (जहां लागू हो) :

10. आवेदक के न्यायनिर्णयन अनुभव का उल्लेख (200 शब्दों में) [जहां लागू हो] :

11. (क) अनुभव सहित निपटान संबंधी संक्षिप्त आलेख:

संगत न्यायालय/अधिकरण के समक्ष मामलों (यदि लागू हो)

ऐसे मामलों का ब्यौरा

(रिपोर्टेड केस/अन रिपोर्टेड केस)

12. एडवोकेट/सीए आदि के रूप में नामांकन/पंजीकरण सं. सहित अनुभव का प्रमाण (सरकारी अथवा न्यायिक अधिकारी के अलावा अभ्यर्थियों के लिए) (जहां लागू हो)

13. नवीनतम आईटीआर की प्रतिलिपि के साथ वार्षिक आय (सरकारी अथवा न्यायिक अधिकारियों से इतर के अभ्यर्थियों के लिए) :

14. प्रमुख 05 उपलब्धियों का :

उल्लेख कीजिए (प्रत्येक के लिए 200 शब्द)

15. पुरस्कार/सम्मान/प्रकाशन, यदि कोई हो :

16. व्यावसायिक निकाय/संस्थान/सोसाइटी/ या राजनीतिक दल सहित अन्य किसी निकाय के साथ संबद्धता

17. अतिरिक्त सूचना यदि कोई है, जो आप उक्त पद के लिए आवेदन करने के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं, साथ ही प्राथमिकता के अनुसार तैनाती का स्थान भी इंगित किया जाए। :

क्र.सं.	बेंच का नाम	एटीएफ में न्यायिक सदस्यों की रिक्तियों की संख्या	वरीयता के क्रम में चुनाव (क्र.सं. 1 से 8)
1	चंडीगढ़	1	
2	लखनऊ	1	
3	कोलकाता	1	
4	गुवाहटी	1	
5	कोच्चि	1	
6	श्रीनगर (जम्मू में कार्यरत)	1	
7	जबलपुर	1	
8	चेन्नई	1	

घोषणा

1. मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के साथ सही और पूर्ण है एवं इसमें कुछ छिपाया/मिथ्यावर्णन नहीं किया गया है । यदि किसी समय यह पाया जाता है कि मैंने दी गई सूचना के बारे में कुछ छिपाया/मिथ्यावर्णन किया है तो मेरी नियुक्ति को बिना नोटिस के तुरन्त निरस्त कर दिया जाए ।
2. मैं चयन समिति की बैठक के बाद अपनी अभ्यर्थिता को वापस नहीं लूंगा ।
3. यदि एसीसी द्वारा मेरी नियुक्ति हो जाती है तो मैं नियुक्ति को अस्वीकार नहीं करूंगा ।
4. मैं नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लूंगा ।
5. मुझे ज्ञात है कि यदि मैं क्रम सं. 2 से 4 पर उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो भारत सरकार मुझे संवर्ग से बाहर और किसी स्वायत्त संस्था/सांविधिक संस्था/विनियामक संस्था में नियुक्ति पर विचार करने के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु वंचित कर सकती है ।

स्थानः

तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>अनुबंध-II</u>

नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु..................................द्वारा भरी गई सूचना सही है और उनके पास अनुबंध-। में उल्लिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है एवं सीवीओ द्वारा जारी किया गया सतर्कता निकासी अनुबंध (III) में संलग्न है ।

3. इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है ।

4. गत 10 वर्षों की अवधि में श्री/श्रीमती/कु. ....पर कोई बड़ी या छोटी शास्ति आरोपित नहीं की गई है ।

5. श्री/श्रीमती/कु....................................के संबंध में गत पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर (एसीआर/एपीएआर प्रत्येक की फोटोकापी) की अद्यतन साक्ष्यांकित फोटोकापी इसके साथ संलग्न हैं ।

संवर्ग नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी
की मुहर एवं हस्ताक्षर

अनुबंध-III

ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा जिनके लिए सतर्कता निकासी मांगी गई है

(सीवीओ या एचओडी द्वारा प्रस्तुत या हस्ताक्षरित की जाए)

1. अधिकारी का नाम (पूरा) :

2. पिता का नाम :

3. जन्म तारीख :

4. सेवानिवृत्ति की तारीख :

5. सेवा में प्रवेश की तारीख :

6. बैच/वर्ष/संवर्ग इत्यादि को शामिल करते हुए : अधिकारी किस सेवा से संबंधित है, जहां लागू हो ।

7. धारित पद (गत दस वर्षों के दौरान):

क्र.सं.	संगठन (पूरा नाम)	पद और तैनाती का स्थान	प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय/संबंधित विभाग (पीएसयू इत्यादि के अधिकारियों के संबंध में)	कब से	कब तक

8. क्या अधिकारी को सहमत सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारी की सूची में रखा गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दिया जाए) :

9. क्या विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर सतर्कता की दृष्टि से कदाचार का कोई आरोप लगाया गया :

है और यदि हां तो क्या परिणाम रहा (*)

10. क्या विगत 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई दण्ड दिया गया था और यदि हां तो आरोप की तिथि और शास्ति का ब्यौरा दीजिए (*) :

11. क्या आज की तारीख तक अधिकारी पर कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाहियां या आरोप पत्र लंबित है (यदि हां, तो संदर्भ संख्या सहित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, यदि कोई आरोप हो तो) :

12. क्या आज की तारीख में अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई विचाराधीन है यदि हां, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए (*) :

(*) यदि विगत समय में आयोग से कोई सतर्कता निकासी प्राप्त की गई है तो उस अवधि के बाद से सूचना उपलब्ध कराई जाए,

दिनांकः

(नाम एवं हस्ताक्षर)